बाल एवं परिवार विभाग

DCF एक राजकीय एजेंसी है, जो कनेक्टिकट के युवा लोगों और उनके माता–पिता की सहायता के लिए अनेक सेवायें उपलब्ध कराती है। बाल एवं परिवार विभाग का ध्येय है – बच्चों को संरक्षण देना, बच्चे और परिवार का जीवन बेहतर बनाना और परिवारों को समर्थन देना तथा उन्हें टूटने से बचाना। ये प्रयास, कनेक्टिकट में बसे अलग–अलग समुदायों और संस्कृतियों का सम्मान करते हुए और उनके तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करते हुए, पूरे किये जाते हैं।

हमारे लक्ष्य का सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा है – बच्चों और 18 वर्ष तक के युवाओं को उत्पीड़न और उपेक्षा से बचाना। इस पुस्तिका का उद्देश्य है, माता–पिता को यह समझने में मदद देना कि संरक्षण सेवायें कैसे काम करती हैं। यह आपको विभाग की भूमिका तथा दायित्वों से परिचित करायेगी और अपने तथा अपने बच्चों के अधिकारों के बारे में बतायेगी।

सबसे पहले तो यह जानना ज़रुरी है कि राज्य के क़ानून के अनुसार, DCF को संदिग्ध बाल उत्पीड़न और उपेक्षा के उन सभी मामलों की जाँच करनी होती है जो इसके वैधानिक दायरे में आते हैं। DCF की वैधानिक ज़िम्मेदारी यह तय करना है कि क्या बच्चे का उत्पीड़न या उपेक्षा की गई है। इसके लिए पहला कदम जाँच है। यह जानना भी ज़रुरी है कि केवल जाँच करने का अर्थ यह नहीं होता कि उत्पीड़न अथवा उपेक्षा की घटना हुई है। अकसर, मामले से DCF के जुड़ने से परिवार को सहायता सेवायें प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं।

किसी भी जाँच के पीछे DCF का प्रमुख लक्ष्य होता है, ऐसी सुरक्षा चिंताओं की पहचान करना, जिनसे परिवार के नाबालिग बच्चों को ख़तरा पैदा हो सकता है। ख़तरे के आकलन से यह तय किया जाता है कि क्या हस्तक्षेप की आवश्यकता है, किस स्तर तक हस्तक्षेप आवश्यक है और परिवार की सहायता के लिए किन लक्षित सेवाओं की आवश्यकता है।

संरक्षण सेवाओं के बारे में माता–पिता के लिए प्रश्नोत्तर

DCF का सामाजिक कार्यकर्ता मुझसे संपर्क क्यों कर रहा है?

सामाजिक कार्यकर्ता इसलिए आपसे संपर्क कर रहा है क्योंकि विभाग को सूचना मिली है कि हो सकता है आपका बच्चा उत्पीड़न या उपेक्षा का शिकार बना हो या बनने के ख़तरे में हो। राज्य के क़ानून [(कनेक्टिकट सामान्य नियमावली, धारा 17 a-101) (Connecticut General Statutes Sec. 17a-101)] के अनुसार संदिग्ध बाल उत्पीड़न या उपेक्षा की सभी सूचनाओं की DCF द्वारा जाँच ज़रुरी है। सामाजिक कार्यकर्ता आपसे उस रिपोर्ट और आपके बच्चे की कुशलता के बारे में बात करना चाहेगा।

मेरे बच्चे के उत्पीड़ित या उपेक्षित होने की सूचना किसने दी?

संदिग्ध उत्पीड़न या उपेक्षा के बारे में सूचना कोई भी – कोई दोस्त, पड़ोसी, परिवार का सदस्य या अजनबी भी दे सकता है। सूचना देने वाला अपना नाम गुप्त रख सकता है। लेकिन कुछ सीमित परिस्थितियों में सूचना देने वाले की पहचान बताई जा सकती है। कुछ व्यावसायिक लोगों के लिए संदिग्ध उत्पीड़न या उपेक्षा की सूचना देना क़ानूनन ज़रुरी होता है और उन्हें "अनिवार्य सूचनादाता" कहा जाता है। अनिवार्य सूचनादाताओं में शिक्षक, चिकित्सक, नर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, पुलिस अधिकारी, मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता, पादरी, दिन में देखभाल करने वाले और अन्य व्यावसायिक व्यक्ति शामिल हैं।

सूचना क्यों दी जानी चाहिए?

बच्चों के बारे में अनेक कारणों से सूचना दी जाती है। उदाहरण के लिए "अनिवार्य सूचनादाताओं" को विभाग को सूचित करना आवश्यक है, यदि उन्हें संदेह हो कि:

- बच्चा उपेक्षित है, जिसका अर्थ है कि बच्चे को बेसहारा छोड़ दिया है, उसे उपयुक्त देखभाल और ध्यान से वंचित रखा जा रहा है या उसे ऐसी परिस्थितियों में रखा जा रहा है, जिससे उसकी कुशल–क्षेय को नुकसान पहुँच रहा है;
- बच्चे को, दुर्घटना के कारण नहीं बल्कि अन्य कारणों से शारिरिक चोटें लगी है;
- बच्चे को ऐसी शारिरिक चोटें हैं, जो उनके लिए बताये गये कारणों से मेल नहीं खातीं;
- बच्चे की स्थिति दुर्व्यवहार–जनित है, जैसे कि कुपोषण, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, आवश्यक वस्तुओं जैसे खाना, कपड़ा, घर आदि न मिलना, और भावनात्मक दुर्व्यवहार या कठोर दंड; तथा
- बच्चे को गंभीर नुकसान पहुँचने की आशंका है।

बच्चों को ऐसी परिस्थितियों से सुरक्षा का अधिकार है।

जब DCF को मेरे बच्चे के बारे में सुचना मिलती है, तब क्या होता है?

संदिग्ध उत्पीड़न या उपेक्षा की प्रत्येक स्वीकृत रिपोर्ट एक सामाजिक कार्यकर्ता को सौंपी जाती है, जो उसकी जाँच कराने के लिए ज़िम्मेदार होता है। यह उस सामाजिक कार्यकर्ता की ज़िम्मेदारी है कि वह रिपोर्ट की जाँच करे और यह तय करे कि उसमें DCF का हस्तक्षेप आवश्यक है या नहीं।

सामाजिक कार्यकर्ता किससे बात करेगा?

सबसे पहले तो सामाजिक कार्यकर्ता आपसे, आपके बच्चे (बच्चों) से और आपके परिवार के अन्य सदस्यों से बातें करेगा। आपसे बात करना इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है, ताकि विभाग आपके परिवार को ज़रुरत पड़ने पर मदद दे सके। सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सकों, शिक्षकों, दिन में देखभाल करने वालों, बेबी–सिटर, पड़ोसियों, रिश्तेदारों तथा उन अन्य लोगों से भी संपर्क करेगा, जो आपको और आपके बच्चे (बच्चों) को करीब से जानते हैं। आप ऐसे अन्य लोगों के नाम भी सुझा सकते हैं, जिनके पास आपके विचार में, आपके बच्चे के बारे में जानकारी है। कुछ विशेष परिस्थितियों में कार्यकर्ता, माता–पिता की मंजूरी के बिना भी लोगों से संपर्क कर सकता है। यदि रिपोर्ट से यौन उत्पीड़न, गंभीर शारिरिक उत्पीड़न अथवा उपेक्षा के संकेत मिलते हैं तो पुलिस से अवश्य संपर्क किया जाना चाहिए।

क्या सामाजिक कार्यकर्ता का मेरे बच्चे से बात करना ज़रुरी है?

हाँ। सामाजिक कार्यकर्ता का आपके बच्चे को देखना और उससे बात करना ज़रुरी है। उसे घर के अन्य बच्चों से भी मिलनें और बातें करने की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, सामाजिक कार्यकर्ता, आपसे संपर्क करने से पहले आपके बच्चे से बात करे। वह आपके बच्चे से स्कूल या डे–केयर में बात कर सकता है।

यदि मैं सामाजिक कार्यकर्ता से बात करना न चाहूँ, तो?

DCF माता–पिता को जाँच में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे माता–पिता को अपना पक्ष सामने रखने का अवसर मिलता है। आप सामाजिक कार्यकर्ता से बात न करने का फ़ैसला कर सकते हैं लेकिन विभाग को क़ानूनन रिपार्ट की जाँच करनी ही पड़ेगी। यदि DCF को लगता है कि आपके बच्चे को तत्काल किसी गंभीर नुकसान का ख़तरा है तो हम पुलिस से संपर्क करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो आपके बच्चे से मिलने के लिए अदालत में याचिका दायर करेंगे।

क्या मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए जायेंगे?

DCF द्वारा जिन बच्चों को अपनी सेवायें दी गई हैं, उनमें से अधिकतर बच्चे अपने माता–पिता के साथ घर में ही रहते हैं। DCF का लक्ष्य यही है कि जहाँ तक संभव हो परिवार न टूटे। जब सहायता सेवाओं की आवश्यकता होगी, तो आपका सामाजिक कार्यकर्ता उसकी व्यवस्था करने में सहायता करेगा।

लेकिन कभी–कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे की सुरक्षा की दृष्टि से उसे घर से बाहर रखने की आवश्यकता होती है। DCF बच्चे को घर से हटाने की स्वीकृति दे सकता है यदि यह मानने के संभावित कारण हों कि बच्चे को शारिरिक नुकसान पहुँचने की आशंका है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसे तत्काल हटाना आवश्यक हो। प्रशासन की ओर से तत्काल बच्चे को घर से हटाये जाने को 96 घंटे की सुरक्षा (96 hour hold) कहा जाता है। विभाग की कार्रवाई के कारण और बच्चे को हटाये जाने के क़ानूनी आधार के बारे में लिखित सूचना माता–पिता को देनी आवश्यक है। यदि बच्चे को घर से बाहर रखना ज़रुरी हो तो इस तरह हटाये जाने के 96 घंटों के अंदर विभाग को अदालत से अस्थायी तौर पर रोक रखने का आदेश (Order of Temporary Custodey-OTC) प्राप्त करना पड़ता है। यदि ऐसा है तो आपको 10 दिन के भीतर अदालत में सुनवाई और वकील प्राप्त करने का अधिकार है। यदि आप वकील का ख़र्च वहन नहीं कर सकते तो अदालत आपके लिए एक वकील नियुक्त करेगी। आपके बच्चे (बच्चों) का प्रतिनिधित्व भी एक वकील करेगा।

जब किसी बच्चे को घर से बाहर रखना ज़रुरी हो जाये, तब DCF का लक्ष्य यह होता है कि परिवार की स्थिति स्थिर और सुरक्षित होते ही उसे सुरक्षित वापस भेजा जाये।

जाँच के बाद क्या होता है?

यदि DCF को पता चलता है कि आपका बच्चा उत्पीड़ित या उपेक्षित नहीं है तो रिपोर्ट को 'अपुष्ट' घोषित कर दिया जाता है। इसका अर्थ है कि आगे जाँच करने की ज़रुरत नहीं है, जब तक कि आप स्वयं उसकी सेवाएं प्राप्त करने का अनुरोध न करें।

यदि DCF को पता चलता है कि आपका बच्चा उत्पीड़ित या उपेक्षित हुआ है तो रिपोर्ट की 'पुष्टि' कर दी जाती है और तब आपका मामला संभवतः DCF की सेवाओं के लिए खुला रहेगा। इसके बाद आपका सामाजिक कार्यकर्ता आपके साथ मिलकर आगे की कार्रवाई विकसित करेगा, जिसे 'उपचार योजना' कहते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, आपके द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली सेवाओं और आपके परिवार की स्थिति सुधारने के लिए DCF कैसे काम करेगा–इस बारे में आपसे चर्चा करेगा।

यदि कोई बच्चा गंभीर उत्पीड़न या उपेक्षा, या यौन उत्पीड़न का शिकार हुआ है, तो DCF को उसका मामला पुलिस को सुपुर्द करना पड़ता है। कभी–कभी DCF का हस्तक्षेप, पुलिस विभाग के अनुरोध पर होता है, जब बच्चों से संबंधित किसी स्थिति की जाँच में मदद माँगी जाती है।

क्या विभाग की जाँच के नतीजों से असहमति व्यक्त की जा सकती है?

हाँ। यदि आप किसी भी समय, उत्पीड़न या उपेक्षा की जाँच के पुष्ट परिणाम से असहमत हैं तो आप:

- परिणाम की समीक्षा का लिखित अनुरोध, इलाके के निर्देशक से कर सकते हैं। यदि आप समीक्षा के परिणाम से भी सहमत नहीं हैं, तो प्रशासनिक सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं।
- जाँच के दौरान आप क़ानूनन सामाजिक कार्यकर्ता से बात करने के लिए बाध्य नहीं हैं। लेकिन यदि आप कुछ न कहने का फ़ैसला करते हैं, तो प्रशासनिक सुनवाई के समय सुनवाई अधिकारी, आपके पक्ष पर विचार नहीं कर सकेगा।
- जिन तथ्यों को आप महत्वपूर्ण समझते हैं उनके बारे में आप लिखित वक्तव्य भी भेज सकते हैं और उसे अपनी फ़ाईल में जोड़े जाने को कह सकते हैं।

DCF मेरे परिवार को किस तरह की सहायता दे सकता है?

बाल एवं परिवार विभाग बहुत सी समुदाय–आधारित सेवायें उपलब्ध कराता है और उनके लिए धन देता है। आपका सामाजिक कार्यकर्ता आपको उनके और आपके समुदाय में उपलब्ध अन्य सेवाओं के बारे में बतायेगा। इनमें शामिल हो सकती हैं:

- सूचना और संदर्भ
- व्यक्तिगत तथा पारिवारिक उपचार
- सघन परिवार संरक्षण संवायें
- माता–पिता शिक्षा तथा सहायता केन्द्र
- परिवार सहायता केन्द्र
- माता–पिता की सहायता
- माता–पिता कक्षायें
- माता–पिता सहायता समूह
- यौन उत्पीड़न उपचार
- नशीले पदार्थों की लत से जुड़ी सेवायें
- बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सेवायें
- मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्वैच्छिक सेवायें

यदि आप अपने परिवार के लिए उपलब्ध कराई जा रही उपचार योजना या सेवाओं से सहमत नहीं हैं, तो आप:

- उपचार योजना बनने वाली बैठकों में भाग ले सकते हैं। ये समीक्षा बैठकें, आपका मामला सेवाओं के लिए खोले जाने या आपके बच्चे (बच्चों) को कहीं और रखे जाने के 45 दिनों के भीतर की जाती हैं।
- उपचार योजना की प्रशासनिक समीक्षा बैठकों में भाग ले सकते हैं। ये समीक्षा बैठकें हर छह महीनें पर होती हैं। आपके सामाजिक कार्यकर्ता आपको सूचित करेंगे कि प्रशासनिक समीक्षा कब होनी है, या आप किसी भी समय उसके लिए अनुरोध कर सकते हैं।
- विभाग की सेवाओं की योजना तथा /अथवा सेवा प्रावधानों को चुनौती देने के लिए उपचार योजना पर सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं। एक सुनवाई अधिकारी दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा और बच्चे (बच्चों) की आवश्यकता पुरी करने में उपचार योजना की उपयुक्तता के बारे में लिखित निर्णय जारी करेगा। आप अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील रख सकते हैं लेकिन उसका ख़र्च आप को वहन करना होगा। उपचार योजना की सुनवाई का अनुरोध, बाल एवं परिवार आयुक्त को 505 हडसन स्ट्रीट, हार्टफ़ोर्ड, सी टी 06106 पर लिखकर किया जा सकता है। आपके लिखित अनुरोध में उन विशिष्ट मुद्दों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए जिनसे आप सहमत नहीं हैं।
- यदि आप, विभाग द्वारा किये जा रहे सभी प्रशासनिक उपायों से भी संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का भी अधिकार होगा।

माता–पिता के रूप में मुझे कौन से अन्य क्या अधिकार प्राप्त हैं?

- आपको सम्मान तथा गरिमापूर्ण व्यवहार प्राप्त करने का अधिकार है।
- आपको अपने मामले की पूरी कार्रवाई को समझने में मदद देने के लिए दुभाषिये की उपस्थिति का अधिकार है।
- आपको अपने मामले से संबद्ध सभी दस्तावेज़ों को अपनी मूल भाषा में अनूदित कराने का अनुरोध करने का अधिकार है।
- आपको अधिकार है कि आप अपने परिवार में विभाग के हस्तक्षेप के बारे में जो भी प्रश्न करें, उनके पूरे और समझने योग्य उत्तर माँगें और प्राप्त करें।
- आपको, DCF के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मुलाक़ात के दौरान अपनी पसंद के किसी व्यक्ति (जैसे कि दोस्त, रिश्तेदार या पादरी) को अपने साथ रखने का अधिकार है, बशर्ते अदालत के प्रतिबंध या संरक्षण के आदेश से ऐसे किसी व्यक्ति को शामिल करने की रोक न हो।
- आपको अधिकार है कि अपने और अपने बच्चे (बच्चों) से संबद्ध जाँच और उसके नतीजों के बारे में विभाग के रिकॉर्ड में संकलित सूचनायें मागें और उन्हें प्राप्त करें। संदिग्ध उत्पीड़न या उपेक्षा की सूचना देने वाले व्यक्ति (यों) की पहचान बताने पर प्रतिबंध हो सकता है।
- यदि आपके बच्चे (बच्चों) को कहीं और रखना ज़रुरी समझा जाता है तो उस कार्रवाई की लिखित सूचना पाने और उसके कारण जानने का आपको अधिकार है।
- आपको गोपनीयता का अधिकार है। विभाग द्वारा, आपकी अनुमति के बिना, आपके तथा आपके परिवार के रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किये जायेंगे, जब तक कि क़ानून इसकी अनुमति न देता हो। लेकिन क़ानून की अनुमति के अनुसार, अन्य एजेंसियों को जाँच, उपचार या अन्य उद्देश्यों के लिए ये सूचनायें दी जा सकती हैं।
- आपको किसी भी समय, अपने साथ एक वकील रखने का अधिकार है। यदि DCF, आपके बच्चे को अस्थायी तौर पर अपनी देखभाल में लेने संबंधि याचिका अदालत में दायर करता है, तो आपको वकील से सलाह लेनी चाहिए। यदि आप वकील का ख़र्च वहन करने में असमर्थ हैं, तो अदालत से अपने लिए वकील नियुक्त करने का अनुरोध कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान आपके बच्चे (बच्चों) का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अलग वकील नियुक्त किया जायेगा।
- आपको यह अधिकार है कि हमारे साथ बात या काम न करें।
- कुछ विशेष परिस्थितियों में आपके मामले को रिकॉर्ड से मिटाए जाने पर आपको उसके बारे में जानने का अधिकार है।
- आपको DCF लोकपाल के कार्यालय से संपर्क करने का अधिकार है। बच्चों के श्रेष्ठ हितों को ध्यान में रखते हुए, इस कार्यालय का उद्देश्य है–प्रार्थियों, गोद लेने वाले या पालन करने वाले माता–पिताओं, सेवा–प्रदाताओं, नागरिकों और विभाग के बीच विवादों का समाधान करना। लोकपाल से (860) 550–6301 पर, सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

मैं बाल एवं परिवार विभाग से संपर्क कैसे करुँ?

हॉटलाइन एक केन्द्रीकृत संपर्क प्रणाली है। उत्पीड़न या उपेक्षा के आरोपों से संबंधित सभी कॉलें या सूचना का अनुरोध करने वाली कॉलें हॉटलाइन से होकर जाती हैं। हॉटलाइन की मदद उस समय भी ली जा सकती है जब DCF के क्षेत्रीय कार्यालय बंद होते हैं। हमारे स्थानीय कार्यालय सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहते हैं। शाम 5 बजे के बाद, या सप्ताहांत और छुट्टियों के दिन आप 1–800–842–2288 पर DCF हॉटलाइन को कॉल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर तब, जब आपको लगे कि आपके बच्चे (बच्चों) को कोई ख़तरा है। स्थानीय कार्यालयों के फ़ोन नंबर और अन्य जानकारी आपको हमारी वेबसाइट www.state.ct.us/dcf से प्राप्त हो सकती है।

सहायता के अन्य स्रोत

इन्फ़ोलाइन (INFOLINE) – यह निःशुल्क सूचना तथा संदर्भ सेवा माता–पिता को समुदाय में सभी तरह के सहायता कार्यक्रमों और सेवाओं से परिचित करा सकती हैं। इन्फ़ोलाइन अकसर संकट में सहायक होती है, चाहे वह घरेलू हिंसा का मामला हो, घर से भागे किशोर हों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कोई आपात स्थिति हो या कोई अन्य समस्या हो।
इन्फ़ोलाइन को 211 पर कॉल करें।

पेरेंट्स एनॉनिमस (PARENTS ANONYMOUS) – जो माता–पिता समझते हैं कि उनका गुस्सा अपने बच्चों पर उतर सकता है, उनके लिए एक स्व–सहायता समूह। पेरेंट्स एनॉनिमस (Parents Anonymous) समूहों की कनेक्टिकट समुदायों में नियमित बैठकें होती हैं ताकि समस्याओं से निपटने के लिए माता–पिता को समर्थन और सहायता दी जा सके। ये बैठकें गोपनीय होती हैं और उसके सदस्य गुमनाम रह सकते हैं। अधिकतर माता–पिता सहायता लेने–देने के लिए अपने नाम और फोन नंबर दूसरों को दे देते हैं। अपने निकट के पेरेंट्स एनॉनिमस समूह का पता जानने के लिए 211 पर इन्फ़ोलाइन को कॉल करें।

सामुदायिक परामर्श सेवायें (COMMUNITY COUNSELING SERVICES) – कनेक्टिकट के अनेक समुदायों में बच्चों का मार्गदर्शन करने वाली क्लीनिक, युवा सेवा ब्यूरो, और बाल एवं परिवार सेवायें मौजूद हैं। ये कार्यक्रम, बच्चों और माता–पिता की सहायता के लिए व्यक्तिगत, सामूहिक तथा पारिवारिक परामर्श और संबंद्ध सेवायें उपलब्ध कराते हैं। अधिकांश कार्यक्रमों की फ़ीस, परिवार की आय के अनुसार परिवर्तनशील होती है। आपके समुदाय की धार्मिक संस्थायें भी परामर्श तथा परिवार सेवायें प्रदान करती हैं। आपकी स्थानीय स्कूल प्रणाली भी सूचना और सहायता का अच्छा स्रोत है।

माता–पिता का जानने का अधिकार

DCF CONNECTICUT

बाल संरक्षण सेवायें और आपका परिवार

कनेक्टिकट बाल एवं परिवार विभाग (DCF)
[(CONNECTICUT DEPARTMENT *of* CHILDREN *and* FAMILIES) (DCF)]
DCF हॉटलाइन: 1-800-842-2288
DCF वेबसाइट: www.state.ct.us/dcf